अनुबंध-I

(पैराग्राफ 2.1.2.3 में संदर्भित)

समुन्द्री संचालन केंद्रों की स्थापना में असाधारण विलंब

क्र. सं.	एमओसी का नाम	साईट के चुनाव की तिथि	अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	वर्तमान स्थिति
1	हैवलॉक	भूमि आवंटित नहीं की गई	--	एमओसी के लिए साईट को हालांकि आरंभिक रूप से सितंबर 2011 में अंतिम रूप दे दिया गया विभाग को आवंटित नहीं किया गया था। आवंटन न किए जाने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे विभाग ने फरवरी 2015 तक कोई पत्राचार नहीं किया और अंत में केवल अप्रैल 2017 में भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया। यह मामला भूमि प्राधिकारियों के पास लंबित है।
2	कैंपबेल बे	फरवरी 2012	-	एपीडब्ल्यूडी द्वारा आवश्यकता के लिए सूचित किए जाने के बाद विभाग ने एक वर्ष बाद (मई 2013 से अगस्त 2014) सीआरजेड की मंजूरी के लिए आवेदन किया। त्वरित पर्यावरण प्रभाव आकलन (आरआईआईए) अध्ययन के संचालन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन लेने में नौ माह (मई 2015 से मार्च 2016 तक) का समय लिया। सीआरजेड की मंजूरी अभी तक प्राप्त नहीं की गई है।
3	पोंगी बालू	जनवरी 2013	58.78	विभाग ने पोर्ट प्रबंधन बोर्ड (पीएमबी) के दो छोड़े गए भवनों का उपयोग करने का फैसला किया (मार्च 2012) जिसके लिए पीएमबी ने सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी दी थी। हालांकि, विभाग ने भवनों को ध्वस्त करने की अनुमति लेने के लिए 33 माह का समय लिया, जिसे केवल फरवरी 2017 में ही दिया गया। विभाग के द्वारा अभी भी आवश्यक वन मंजूरी के लिए आवेदन किया जाना शेष था (नवम्बर 2017) और मौजूदा ढांचे के विध्वंस की मंजूरी अभी भी प्रतीक्षारत थी।

4	दिगलीपुर	जनवरी 2016	189.28	नवंबर 2011 में पहचान की गई प्रारंभिक साइट को बाद में अक्तूबर 2012 में बदल दिया गया था। हालांकि जनवरी 2016 में प्रारंभिक साइट पर वापस आने का फैसला किया गया क्योंकि दूसरी साइट घने जंगल में दूरस्थ स्थान पर स्थित था। एमओसी का कार्य वर्तमान में निविदा अवस्था में है। जनवरी 2016 में अंतिम साइट का चयन हुआ। यह कार्य निविदा के अंतर्गत है।
5	इंटरव्यू द्वीप	नवम्बर 2011	49.97	एमओसी का निर्माण में विलंब हो गया क्योंकि नवम्बर 2011 में चयनित स्थल आरक्षित वन में स्थित था। इसके अतिरिक्त, साइट के दूरस्थ होने के कारण साइट निरीक्षण और एपीडब्ल्यूडी के अनुमानों की तैयारी में विलम्ब हुआ है। लेखापरीक्षा ने पाया कि साइट की पहचान के बाद एपीडब्ल्यूडी द्वारा साइट पर तैयारी के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया गया था। वर्तमान में एमओसी का कार्य निविदा स्तर पर है।
6	हद्दो, पोर्ट ब्लेयर	सितम्बर 2011	350.00	विभाग ने एपीडब्ल्यूडी (जून 2013) से अनुरोध किया कि एमओसी के लिए मंत्रालय की मंजूरी के संदर्भ में धन की उपलब्धता को निर्दिष्ट किए बिना अनुमान प्राप्त करें। अतः विभाग को अतिरिक्त राशि के लिए अनुमोदन प्राप्त करना पड़ा जिसमें 22 माह (अक्तूबर 2013 से अक्तूबर 2015) का समय लगा। लिये गए समय के लिए कोई कारण रिकार्ड में नहीं मिला। हद्दो में एमओसी निविदा स्तर पर है।
7	ईस्ट द्वीप	नवम्बर 2011	47.03	ईस्ट द्वीप और हट्बे पर एमओसी के मामले में, पुलिस विभाग (सितम्बर 2012, दिसम्बर 2012) ने आग्रह किया कि मंत्रालय द्वारा कार्य के लिए स्वीकृत राशि का उल्लेख किए बिना एपीडब्ल्यूडी को अनुमान देना चाहिए। अतः एपीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया अनुमान मंत्रालय द्वारा स्वीकृत व्यय सीमा से बढ़ गया था। यह आगे जाकर दो एमओसी (मार्च 2017 और अप्रैल 2016) के अनुमानों में संशोधन के लिए आवश्यक हुआ और ये एमओसी के निर्माण में विलंब का कारण बना। ईस्ट द्वीप ए/ए एवं ई/एस के
8	हट्बे	दिसम्बर 2012	115.44	

				एमओसी मामले अभी भी प्रतीक्षारत है और हट्बे एमओसी अभी निविदा चरण में है।
9	नैनकौरे	फरवरी 2012	28.29	साईट जल जमाव के संभावना वाले क्षेत्र में थी। तैयार किए अनुमान को दो बार संशोधित किया गया तथा सितम्बर 2013 और जनवरी 2016 एवं नया अनुमान अभी भी प्रक्रिया में है।

अनुबंध-II

(पैराग्राफ सं. 2.1.4 में संदर्भित)

योजना में विविध गतिविधियों के लिए माईलस्टोन

अनुबंध के हस्ताक्षर की तिथि- **06.07.2010**	माईलस्टोन/वितरणयोग्य	समयसीमा
	मसौदा डीपीआर तथा परियोजना कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग योजना (पीआईएम) की तैयारी और प्रस्तुती एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी की स्वीकृति पर।	10 सप्ताह (13.09.10)
	अंतिम डीपीआर तथा आरएफपी की प्रस्तुती एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी की स्वीकृति पर।	14 सप्ताह (11.10.10)
	एमएचए/एससीआरबी से अनुमोदन के बाद फ्लोटिंग आरएफपी में सहायता।	16सप्ताह (25.10.10)
	तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुती एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी की स्वीकृति पर।	22 सप्ताह (06.12.10)
	मसौदा अनुबंध की प्रस्तुती एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी की स्वीकृति पर।	24 सप्ताह (20.12.10)

एसआई

अनुबंध के हस्ताक्षर की तिथि - **17.05.12**	माईलस्टोन	वितरणयोग्य	समयसीमा
		संसाधनों की तैनाती	
	पायलट स्थान में गो-लाईव	सीएएस राज्य का अनुकूलन, नए मॉड्यूल का विकास तथा एनसीआरबी द्वारा प्रदान की गई सीएएस (राज्य) के साथ एकीकरण	माह-6 (16.11.12)
		डाटा डिजिटलीकरण	
		पायलट स्थान पर नेटवर्क अवसंरचना की स्थापना तथा कमीशनिंग	
		पायलट स्थान में गो-लाईव	
	चरण-I स्थान में तैयारी की गो-लाईव	पायलट स्थान से फीडबैक के आवश्यकता आधार पर सीएएस राज्य में सुधार	माह-7 (16.12.12)
		अन्य चरण - I स्थान पर डाटा डिजिटलीकरण	
		दूसरे चरण - I स्थान पर हार्डवेयर की स्थापना और कमीशनिंग	
	चरण-I स्थान में गो-लाईव	अन्य चरण - I स्थानों पर साइट गो-लाईव	माह-8 (16.01.12)
	चरण-II स्थान में तैयारी की गो-लाईव	चरण - II स्थान में डाटा डिजिटलीकरण	माह-11 (16.01.12)
		अन्य चरण-II स्थानों पर हार्डवेयर की स्थापना और कमीशनिंग	
		चरण-II स्थान पर क्षमता निर्माण कार्य	
	चरण-II स्थान में गो-लाईव	अन्य चरण-II स्थानों पर साइट गो-लाईव	माह-12 (16.05.13)

एसपीएमयू

अनुबंध के हस्ताक्षर की तिथि - **09.10.2012**	**भुगतान माईलस्टोन**	**वितरणयोग्य**	**समयसीमा**
	पुलिस स्टेशनों और उच्चतर कार्यालयों के लिए हार्डवेयर की कमीशनिंग	एसआई के वितरणयोग्य के संदर्भ में एसपीएमयू की समयसीमा/ वितरणयोग्य को माना जाता था।	
	नेटवर्किंग समाधान		
	पूर्ण डाटा डिजिटलीकरण		
	3 साल के लिए त्रैमासिक भुगतान		

अनुबंध-III

(पैराग्राफ सं. 2.12.1 में संदर्भित)

01 अगस्त 2015 से प्रभावी टीपीडीएस के अंतर्गत तथा एनएफएसए के अंतर्गत चावल एवं अन्य वस्तुओं का आवंटन और श्रेणी वार वितरण नीचे दिया गया है:

वस्तुएं	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्रता	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद पात्रता
चावल	एपी[1] - निःशुल्क 10 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह	एपी - निःशुल्क 10 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह*
	एएवाई[2] - 35 कि.ग्रा. प्रति माह प्रति परिवार @ ₹ तीन प्रति कि.ग्रा.	एएवाई - 35 कि.ग्रा. प्रति माह प्रति परिवार @ ₹ तीन प्रति कि.ग्रा.
	बीपीएल[3] - 35 कि.ग्रा. प्रति माह प्रति परिवार @ ₹ 6.15 प्रति कि.ग्रा.	पीएचएच[4] - एक माह के लिए प्रति व्यक्ति के लिए 5 कि.ग्रा. चावल @ ₹ 3 प्रति कि.ग्रा.
	एपीएल[5] - एक माह के एक परिवार में प्रत्येक व्यस्क के लिए आठ कि.ग्रा. चावल तथा प्रत्येक बच्चे के लिए चार कि.ग्रा. चावल @ ₹ 12.50 प्रति कि.ग्रा.	टीओ[6]- एक माह के एक परिवार में प्रत्येक व्यस्क के लिए छः कि.ग्रा. चावल तथा प्रत्येक बच्चे के लिए दो कि.ग्रा. चावल @ ₹ 9.5 प्रति कि.ग्रा.
कुल जीओआई द्वारा चावल का आवंटन	एएवाई - 43 एमटी/माह बीपीएल - 62 एमटी/माह एपीएल - 280 एमटी/माह	एएवाई - 36.785 एमटी/माह पीएचएच - 90.065 एमटी/माह टीओ - 258.15 एमटी/माह एएवाई
किरोसीन	@ एक लिटर प्रति व्यक्ति प्रति माह	
चीनी	@ एक कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह	

** केवल 10 लाभार्थियों*

1 अन्नपूर्णा,
2 अन्त्योदय अन्न योजना
3 गरीबी रेखा से नीचे
4 प्राथमिक परिवार
5 गरीबी रेखा के ऊपर
6 काबू पाना